

आयकर पैन सेवा इकाई ट ट्रस्ट निवेशक सेवा लिमिटेड द्वारा संचालित क्टर - 11, पोस्ट बेग क्र. 20,सी बी डी बेलापुर, नवी मुम्बई - 400 614.

ात करते हुए प्रसन्नता है कि आपको स्थायी लेखा संख्या

थ संलग्न है । आगे, आयकर विवरणी दाखिल करने के लिये कृपया

आय की विवरणी तथा करों के भुगतान के लिए चालानों में स्थायी लेखा संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ताकि आपके द्वारा भुगतान किये गये करों का सही क्रेडिट सुनिश्चित किया जा सके और आयकर विवरणी की प्रोसेसिंग गति के साथ की जा सके। साथ ही, विभाग के साथ अन्य सभी पत्र -व्यवहार में स्थायी लेखा संख्या का उल्लेख करने से करदाता सेवाओं में सुधार करनें में मदद मिलेगी।

हमें सूचित करना है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनेक संव्यवहारों में स्थायी लेखा संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। ऐसे संव्यवहारों के विस्तृत ब्यौरे के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 114बी के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए का अवलोकन करें।

एक से अधिक स्थायी लेखा संख्या आबंदित होने की असंभावित स्थिति में इस तथ्य को अपने निर्धारण अधिकारी की जानकारी में अवश्य लायें क्योंकि एक से अधिक स्थायी लेखा संख्या रखना या प्रयोग करना कानून के विरुद्ध है तथा इसके लिये 10,000 रूपये तक की शास्ति लगायी जा सकती है।

आपके स्थायी लेखा संख्या कार्ड में मुद्रित आंकडों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आयकर स्थायी लेखा संख्या सेवा इकाई के उपरोक्त पते पर और स्थायी लेखा संख्या कार्ड के पिछे दिये पते पर सूचित कर सकते ह।

आयकर विभाग

INCOME TAX PAN SERVICES UNIT

(Managed by Unit Trust of India Investor Services Ltd.)
Plot No. 3, Sector 11, Post Bag No. 20, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.

The Income Tax Department takes pleasure in informing that the PAN allotted to you is:

AAAAE1930C

and the PAN card is enclosed herewith. Further, for filing the return of income, please contact

DC/AC CIRCLE 1(1) ,PATNA

Quoting of PAN on return of income and challans for payment of taxes is necessary to ensure accurate **credit of taxes paid by you and faster processing of** return of income. Moreover, quoting PAN on all other communications with the department will help to improve taxpayer services.

We may inform that it is **mandatory to quote PAN** in several trànsactions specified under the Income Tax Act, 1961. For further details of such transactions, reference is invited to rule 114B of the Income Tax Rules, 1962 read with section 139A of the Income Tax Act, 1961.

In the unlikely event of more than one PAN being allotted, this fact should be brought to the notice of your Assessing Officer, as possessing or using more than one PAN is against law and may attract penalty of up to Rs. 10,000/-.

Any errors in the data printed on your PAN Card may be brought to the notice of IT PAN Services Unit at the address given above and on the reverse of the PAN Card.

Income Tax Department

BundleID: OTH3650 / DespatchID 17649088

M/s EQUITY FOUNDATION A EQUITY FOUNDATION 123 A PATLIPUTRA COLONY PATNA BIHAR 800013

(This being a computer-generated letter, no signatures are required)